ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा–846004

पत्रांकः छा०क०–89/24 दिनांक 09/09/2024

सेवा में,

प्रधानाचार्य,

सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय,

ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

विषयः– चार वर्षीय स्नातक प्रथम सेमेस्टर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य (प्रतिष्ठा) सत्र 2024–28 (सी0बी0सी0एस0) में दिनांक– 25.08.2024 से 07.09.2024 तक पुनः ऑनलाईन आवेदन किये हुए छात्र/छात्राओं का उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय के आधार पर प्रकाशित चतुर्थ चयन सूची के अनुसार नामांकन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि चार वर्षीय स्नातक प्रथम सेमेस्टर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य (प्रतिष्ठा) सत्र– 2024–28 सी0बी0सी0एस0 में दिनांक– 25.08.2024 से 07.09.2024 तक पुनः ऑनलाईन आवेदन किये हुए छात्र/छात्राओं का उनके द्वारा दी गयी महाविद्यालय वरीयता के आधार पर नामांकन हेतु चतुर्थ चयन सूची विश्वविद्यालय के बेवसाईट www.lnmu.ac.in पर जारी कर दी गयी है।

चतुर्थ चयन सूची में चयनित छात्र/छात्रों का नामांकन ***दिनांक– 10.09.2024 से 19.09.2024 तक*** आवंटित महाविद्यालय में ही लिया जाय। छात्र/छात्रा अपना चयन–पत्र (Selection letter) आवेदन आई–डी (Application I.D) एवं जन्म तिथि (Date of Birth) या यूजर आई डी (ई–मेल) एवं पासवर्ड (Password) के द्वारा लॉग–इन (login) कर अपना सेलेक्शन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि जिन विषयों में सीट रिक्त है उन सीटों को अनारक्षित मानते हुए केवल चतुर्थ सूची में चयनित अभ्यर्थियों का रिक्त सीटों के विरूद्ध नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे। नामांकन हेतु सभी आवश्यक कागजातों की जाँचोपरान्त हीं अभ्यर्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेंगे। नामांकन के लिये अहर्ता से संबंधित पूर्व में प्रेषित पत्र छा0क0– 47/24 दिनांक– 20.06.2024 पत्र के अनुसार यथावत रहेंगे। नामांकित छात्र/छात्राओं का महाविद्यालय के डैस–बोर्ड पर ***Update दिनांक– 20.09.2024 अपराह्न 5:00 बजे तक*** अनिवार्य रूप से कर लेंगे। अपडेशन में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो दिनांक– 21.09.2024 को अपराह्न 1:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के मेल– dsw@lnmu.ac.in पर अनिवार्य रूप से सूचित करेंगे, इसके उपरान्त अपडेशन संबंधि किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। चतुर्थ चयन सूची से

छात्र/छात्राओं के नामांकन के उपरान्त उपरोक्त सत्र में नामांकन की प्रक्रिया पुर्ण रूप से बंद कर दी जायेगी।

नोटः–

प्रधानाचार्य को निदेशित किया जाता है कि चतुर्थ चयन सूची के तहत डाउनलोडेड सेलेक्शन लेटर के बिना किसी भी छात्रों का नामांकन नहीं लेंगे। अगर सीट से अधिक नामांकन लेते है तो राज्यादेश का उलंघन माना जायेगा एवं इसकी सूचना राज्य सरकार को दे दी जायेगी एवं वैसे छात्र/छात्रा का किसी भी परिस्थिति में पंजीयन एवं परीक्षा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसकी सारी जवाबदेही संबंधित प्रधानाचार्य की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र एवं सभी वर्ग की महिलाओं से नामांकन के समय किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेगे।

माननीय कुलपति महोदय के आदेश से।
विश्वासभाजन,

9/9/24

अध्यक्ष, छात्र–कल्याण